जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना किरतपुर **दिनांक - 18.09.2024**

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा ठगी करने वाले 02 अभियुक्तगणों को पीली धातु के आभूषण, नगदी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण :-

जनपद में अपराध की रोकथाम, चोरी व ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 18.09.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रिहान उर्फ मिन्जार पुत्र अनवर निवासी ग्राम एचोडा थाना एचोडा कम्बौह जनपद संम्भल को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1350/- रुपये की नगदी व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद हुयी । अभियुक्त की निशादेही पर दिनांक 18.09.2024 को अभियुक्त हाजी युसूफ पुत्र अब्दुल सलाम नि0 मौ0 जुमेरात कस्बा व थाना पाकबाडा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशादेही पर एमडीए कालोनी हर्बल पार्क मुरादाबाद के पास बने निमार्णधीन क्वाटर से पीली धातु के आभूषण बरामद किये गये।

पूछताछ विवरण:-

अभियुक्त रिहान उर्फ मिन्जार उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने बिजनौर के अलग - अलग थाना क्षेत्रों में महिलाओं के गुमराह कर अपना नाम पता हर बार अलग - अलग बताते हुये धोखाधडी व टप्पेबाजी करता हूं। मेरे द्वारा करीब एक माह पहले नजीबाबाद से नवीन मण्डी से आगे कोटद्वार रोड से एक महिला से बीपीएल कार्ड बनवाकर सिलेण्डर दिलवाने का झांसा देकर उसके कुण्डल ले लिये थे। साथ ही मैने लगभग 15 दिन पहले किरतपुर के मौ0 अम्बेडकर नगर से एक महिला से उसके पुत्र के एक्सीडेंट होने की झूठी सूचना देकर मैं अपने साथ मोटर साईकिल पर बैठाकर लाया था और उसके कुण्डल निकलवाकर पास की परचून की दुकान पर रखवा दिये थे और उस महिला को साथ ले जाकर मण्डी के पास झूठ बोलकर छोडकर चला गया था और मैने वहां से वापस परचून की दुकान पर आकर कुण्डल धोखे से ले गया था। मैनें कल 17.09.2024 को ग्राम सिंकदरपुर थाना को0देहात बिजनौर से एक महिला व उसके बेटे को गैस सिलेण्डर दिलाने के नाम का झांसा देते हुए धोखाधडी करते हुए टॉप्स, बाली, मंगलसूत्र व पाजेब निकलवा कर ले लिये थे और उस महिला को मैने बहाना बनाकर रास्ते में अकबराबाद रोड पर छोड दिया था। मेरे द्वारा की गयी सारी घटनाओं में ठगी का सामान अपने मुरादाबाद रहने वाले साथी हाजी युसूफ को दे दिया था तथा उससे 20,000/- रुपये ले लिये थे और बाकी का हिसाब बाद में किया जाना था।

अभियुक्त हाजी युसूफ उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरा साथी रिहान उर्फ मिन्जार मेरा साथी है, जिसने ठगी के आभूषण मेरे पास रखे थे तथा मुझसे 20000/- रुपये लिये थे। रिहान उर्फ मिन्जार द्वारा दिये गये आभूषणों को मैने एमडीए कॉलोनी हर्बल पार्क मुरादाबाद के पास बने निमार्णधीन क्वार्टर में रख देता हूं, ताकि किसी को कोई शक ना हो।

अभियुक्त रिहान उर्फ मिन्जार द्वारा कारित की गयी घटनाओं के संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 353/24 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस, थाना नजीबाबाद की घटना के संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 470/24 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस व थाना कोतवाली देहात की घटना के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 208/24 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस पंजीकृत है। अभियोगो में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धी की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- रिहान उर्फ मिन्जार पुत्र अनवर निवासी ग्राम एचोडा थाना एचोडा कम्बौह जनपद संम्भल।

2. हाजी युसूफ पुत्र अब्दुल सलाम नि0 मौ0 जुमेरात कस्बा व थाना पाकबाडा जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी का विवरण –

1- पीली धातु के 02 जोडी कुण्डल, 01 जोडी टॉप्स, 01 जोडी बाली, 01 मंगलसूत्र

2- सफेद धातू की 01 जोडी पाजेब

3- 1350/- नगदी

4- घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल।

अभियुक्त रिहान उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 045/2015 धारा 379 भादवि थाना असमौली जनपद सम्भल।
2. मु0अ0सं0 077/2018 धारा 138(1)(b) भारतीय विधुत अधिनियम थाना असमौली सम्भल।
3. मु0अ0सं0 353/24 धारा 318(4)/316(2)/317(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 470/24 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
5. मु0अ0सं0 208/24 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

अभियुक्त युसूफ उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं 008/2018 धारा 120बी/408/420 भादवि थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद।
2. मु0अ0सं0 166/2024 धारा 147/148/332/336/353/504/506 भादवि थाना पाकबाड मुरादाबाद।
3. मु0अ0सं0 061/2020 धारा 386/506 भादवि थाना पाकबाडा जनपद मुरादाबाद।
4. मु0अ0सं0 0761/2020 धारा 174 ए भादवि थाना पाकबाडा जनपद मुरादाबाद।
5. मु0अ0सं0 353/24 धारा 318(4)/316(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
6. मु0अ0सं0 470/24 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
7. मु0अ0सं0 208/24 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री जयभगवान सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 आशीष पुनिया थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
4.हे0का0 443 कपिल कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
5. का0 1947 सोनू सहगल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
6. का0 1728 अजय ठाकुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
7. का0 2083 राहुल सैनी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 18.09.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 13.11.2017 को अभियुक्तगण गुलबहार पुत्र मेहर अली 2.महबूब पुत्र सिराजुद्दीन निवासीगण ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के विरुद्ध थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 648/17 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गई एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 18.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-VI / गैंगस्टर अधिनियम जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 648/17 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्त गुलबहार पुत्र मेहर अली निवासी ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

गुलबहार पुत्र मेहर अली निवासी ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट – जनपद बिजनौर		दिनांक – 18.09.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैर-इरादतन हत्या के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 27.02.2018 को वादिनी पूनम पत्नी नरेश कुमार निवासी ग्राम सिकरोन्दा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 27.02.2018 को वादिनी के पति नरेश का गांव के ही खानचन्द पुत्र सौनाथ के साथ शराब पीने के दौरान दोनो की आपस में कहासुनी / झगडा हो गया, जिसमें खानचन्द ने वादिनी के पति नरेश के सिर में लोहे की रॉड मारकर घायल कर दिया, जिससे वादिनी के पति नरेश की मृत्यु हो गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 130/2018 धारा 304 भादवि बनाम खानचन्द उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गई एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 18.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी-02, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 304 भादवि के आरोपी अभियुक्त खानचन्द पुत्र सौनाथ निवासी ग्राम सिकरोन्दा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

खानचन्द पुत्र सौनाथ निवासी ग्राम सिकरोन्दा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना **दिनांक – 18.09.2024**

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 268/2024 धारा 127(2) / 351(3) बीएनएस व धारा 5(M)/6 पॉक्सो अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

आज दिनांक 18.09.2024 को वादी द्वारा थाना नगीना पर तहरीर दी गयी कि वादी के बेटे (उम्र करीब 10 वर्ष) व पडोस के रहने वाले 07 वर्षीय बच्चे के साथ नफीस पुत्र रमजानी निवासी मौहल्ला कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा डरा-धमकाकर गलत किया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त नफीस के विरुद्ध थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 268/2024 धारा 127(2) / 351(3) बीएनएस व धारा 5(M)/6 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना नगीना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए उक्त घटना के नामित अभियुक्त नफीस अहमद पुत्र स्व0 रमजानी निवासी मौहल्ला कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ में अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि ये दोनों बच्चे मेरे पडोस के ही रहने वाले हैं तथा ये दोनों मेरे पास आते रहते थे। मुझे सुलफा का नशा करने की आदत है तो मैं इन बच्चों से रुपयों का लालच देकर जंगल से भांग के पेड के पत्ते मंगवाता था और उन पत्तों से नशा करता था। मैने बच्चों को लालच मे लेकर व डरा धमकाकर इन दोनों के साथ कुकर्म किया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नफीस अहमद पुत्र स्व0 रमजानी निवासी मौहल्ला कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री रामचन्द्र थाना नगीना जनपद बिजनौर

2-हे0कां0 808 बिजेन्द्र सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 18.09.2024**

थाना नहटौर पुलिस ने मु0अ0सं0 210/24 धारा 452/302/34/120(बी) भादवि व 3/25/27(3) शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्ता को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर घटना में प्रयुक्त की-पैड मोबाइल फोन किया बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.06.2024 को वादी श्री वीर सिंह पुत्र मुरारी सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि दिनांक 01.06.2024 की रात्रि में उसका भतीजा रानू पुत्र शीशराम सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर कमरे में सो रहा था तथा उसका पिता कमरे के बाहर सो रहा था । किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रानू उपरोक्त के गोली मार दी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई । इस संबंध में थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 210/24 धारा 452/302 भादवि पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 04.08.2024 को अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.विक्की कुमार पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर 2.सागर पुत्र टेकचन्द निवासी ग्राम बैरमाबाद गढी थाना नहटौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया जा चुका है । दिनांक 09.09.2024 को अभियुक्ता रूपा पत्नी स्व0 रानू निवासी ग्राम सलेमपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 18.09.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 210/2024 धारा 452/302/34/120(बी) भादवि व 3/25/27(3) शस्त्र अधिनियम में प्रकाश में आयी अभियुक्ता रूपा पत्नी स्व0 रानू निवासी ग्राम सलेमपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर को मा0 न्यायालय से 07 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लिया गया । अभियुक्ता की निशादेही पर घटना में प्रयोग किये गये की-पैड मोबाइल को बरामद किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्ता का नाम व पता –

रूपा पत्नी स्व0 रानू निवासी ग्राम सलेमपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक की-पैड मोबाइल फोन

पुलिस टीम का विवरण –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2.म0हे0कां0 69 सोनिया थाना नहटौर जनपद बिजनौर

3.कां0 830 धर्मेन्द्र कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 18.09.2024**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को 25 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया व 200 लीटर लहन मौके पर ही नष्ट किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम भगौडा में अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे अभियुक्त कमल किशोर उर्फ सोनू पुत्र समरपाल निवासी ग्राम भगौडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 25 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण, एक ड्रम स्टील, बोतल काँच ,पतीली आदि बरामद की गयी। बरामद 200 लीटर लहन को मौके पर गिराकर नष्ट किया गया। इस सम्बन्ध में थाना चादंपुर पर मु0अं0सं0 483/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम बनाम कमल किशोर उर्फ सोनू उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कमल किशोर उर्फ सोनू पुत्र समरपाल निवासी ग्राम भगौडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

25 लीटर अवैध शराब

शराब बनाने के उपकरण (एक ड्रम स्टील, बोतल काँच ,पतीली आदि)

200 लीटर लहन को मौके पर नष्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 राजेन्द्र थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 आदेश थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 मंजीत थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

4.कां0 आशीष थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

5.कां0 506 देवेन्द्र सिंह थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ **दिनांक – 18.09.2024**

थाना अफजलगढ पुलिस ने दो अभियुक्तो को 200 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब निष्कर्षण के उपकरण सहित किया गिरफ्तार, मौके पर 10,000/- लीटर लहन को किया गया नष्ट ।

कार्यवाही –

जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियान चलाकर कडी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम कटारमल के जंगल मे रामगंगा नदी के किनारे से अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे दो अभियुक्तगण 1.अनुज उर्फ अनुजप्रीत पुत्र मदन लाल व 2.बलजिन्दर पुत्र करनैल सिंह निवासीगण ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 04 जरीकैन में 50-50 लीटर अवैध कच्ची शराब (कुल 200 लीटर) व कच्ची शराब बनाने की भट्ठी मय उपकरण (02 लोहे के ड्रम, दो हांडी, दो रबड़ की पाईन, दो एल्यूमिनियम के पाईप, 05 प्लास्टिक के डिब्बे व जमीन मे खुद्दे गड्ढो की 05 प्लास्टिक की सफेद रंग की पन्नी, एक कुन्तल लकड़ी एवं एक फावडा) सहित गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर 10,000 लीटर तैयार लहन को नष्ट किया गया।

बरामदगी के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 304/24 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.अनुज उर्फ अनुजप्रीत पुत्र मदन लाल निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
2.बलजिन्दर पुत्र करनैल सिंह निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण

04 जरीकैन में 50-50 लीटर अवैध कच्ची शराब (02 लोहे के ड्रम, दो हांडी, दो रबड़ की पाईन, दो एल्यूमिनियम के पाईप, 05 प्लास्टिक के डिब्बे व जमीन मे खुद्दे गड्ढो की 05 प्लास्टिक की सफेद रंग की पन्नी, एक कुन्तल लकड़ी एवं एक फावडा) व 10,000 लीटर लहन (मौके पर नष्ट)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री योगेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

3. हे0का0 540 पुष्पेन्द्र थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
4. का0 1821 जाबिर खान थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
5. का0 293 राहुल कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
6. का0 200 अश्वनी कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
7. का0 2134 नितिन कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
8. का0 2118 अभिषेक ढाका थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
9. का0 2335 विजय तोमर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
10. का0 572 शुभम चौधरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 18.09.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण –

आज दिनांक 18.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त कपिल पुत्र महेश निवासी ग्राम सून्दरा थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना चादंपुर पर मु0अं0सं0 484/2024 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट बनाम कपिल उपरोक्त पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कपिल पुत्र महेश निवासी ग्राम सून्दरा थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 त्रिवेन्द्र सिंह थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 2123 अंकुर कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 506 देवेन्द्र सिंह थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ़ दिनांक – 18.09.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 302/24 धारा 363/376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.09.2024 को वादी ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि दिनांक 07.05.2024 को वादी की नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी, जिसे अभियुक्त कपिल कुमार पुत्र महिपाल निवासी निवासी ग्राम सुआवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर बुलाकर अपने घर ले गया जहाँ पहले से ही मौजूद अभियुक्त मौ0 फैसल पुत्र नासिर निवासी ग्राम सुआवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने वादी की पुत्री के साथ गलत काम किया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 302/2024 धारा 363/376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधि0 बनाम फैसल आदि उपरोक्त कुल 02 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 18.09.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फैसल पुत्र मौ0 नासिर निवासी ग्राम सुआवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फैसल पुत्र मौ0 नासिर निवासी ग्राम सुआवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.वरि0उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 540 पुष्पेन्द्र थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

3.कां0 2487 शैलेन्द्र कान्त थाना अफजलगढ जिला बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 18.09.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 11 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 11 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	चांदपुर	विनित उर्फ बटलर पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम कुलचाना थाना चांदपुर
2	अफजलगढ	महिपाल पुत्र ठकरी सिंह नि0 ग्राम हिदायतपुर चौहडवाला थाना अफजलगढ़
3	अफजलगढ	पप्पू पुत्र हरदेवा नि0 ग्राम गढवावाला थाना अफजलगढ
4	अफजलगढ	यादराम पुत्र देवी सिंह नि0 ग्राम गढवावाला थाना अफजलगढ
5	अफजलगढ	हरिराज सिंह पुत्र फूल सिंह नि0 ग्राम गढवावाला थाना अफजलगढ
6	अफजलगढ	मुस्तफा उर्फ सुखा पुत्र नत्थू निवासी मौ0 नायक सराय कस्बा व थाना अफजलगढ
7	बढापुर	अनिल पुत्र कल्लू सिंह नि0 किशनपुर कुंडा थाना बढ़ापुर
8	बढापुर	सोनू कुमार पुत्र श्याम सिंह नि0 भगवानपुर थाना बढ़ापुर
9	बढापुर	दीपक उर्फ कालू पुत्र खुशीराम नि0 भगवानपुर थाना बढ़ापुर
10	बढापुर	रामकिशन पुत्र मुन्शी नि0 ईस्माईलपुर दमी थाना बढ़ापुर
11	को0 शहर	अंकुल पुत्र बाबूराम नि0 खैरूल्लापुर उर्फ शाहपुर थाना नजीबाबाद

थाना चांदपुर

थाना अफजलगढ

थाना अफजलगढ

थाना बढापुर

थाना नजीबाबाद

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 18.09.2024**

थाना नहटौर पुलिस ने मु0अ0सं0 287/2024 धारा 191(2) / 191(3) / 126(2) /109 / 115(2) / 351(3) / 117(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

<u>संक्षिप्त विवरण –</u>

दिनांक 10.08.2024 को वादी श्री महेश कुमार पुत्र चिम्मन लाल निवासी ग्राम मण्डौरी थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि दिनांक 09.08.2024 को अभियुक्तगण 1.निपेन्द्र पुत्र जयप्रकाश 2.निपेन्द्र पुत्र नामालूम 3.आकाश पुत्र अमर सिंह निवासीगण ग्राम मानकपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर व 05 अज्ञात द्वारा वादी के पुत्र रोहित व पुष्पेन्द्र पुत्र सुरेश को रास्ते में रोककर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से वार कर दोनो को घायल अवस्था में छोडकर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 287/2024 धारा 191(2) / 191(3) / 126(2) /109 / 115(2) / 351(3) बीएनएस बनाम निपेन्द्र आदि उपरोक्त 03 नामजद व 05 अज्ञात पंजीकृत किया गया।

<u>कार्यवाही –</u>

आज दिनांक 18.09.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त निपेन्द्र पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम मण्डौरी थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के क्रम में अभियोग में धारा 117(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

निपेन्द्र पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम मण्डौरी थाना नहटौर जनपद बिजनौर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1.उ0नि0 श्री हरीप्रकाश सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2.का0 1073 अमित मलिक थाना नहटौर जनपद बिजनौर

3.का0 2552 सुधीर कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 18.09.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 481/2024 धारा 115(2)/333/352/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.09.2024 को वादी श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह निवासी ग्राम अकौंधा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.कमित कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह 2.राजेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासीगण ग्राम अकौंधा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर आकर वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौच की गयी तथा तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी एवं मारपीट की गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चाँदपुर पर मु0अ0सं0 481/2024 धारा 115(2)/333/352/351(3) बीएनएस बनाम कमित आदि पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों द्वारा तमंचा दिखाकर धमकी देने का विडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो हुआ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 18.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त कमित कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अकौंधा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया। अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कमित कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अकौंधा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 371 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 1191 आकाश थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 18.09.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मंदिर में चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को चोरी की गयी मूर्ति, पीली धातु का छत्र (टूटा हुआ), नगदी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं 02 अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.09.2024 को नगर बिजनौर के मौहल्ला शम्भा बाजार स्थित साँई मन्दिर से अज्ञात चोरों द्वारा मन्दिर का दरवाजा खोलकर श्री गणेश जी की मूर्ति, दानपात्र, चौकी व छत्र को चोरी कर लिया था । स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पास में ही पुरानी तहसील के खण्डहर से चोरी किया गया सामान बरामद किया गया । इस सम्बन्ध में वादी श्री अरुण कुमार खन्ना पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी मौहल्ला शम्भा बाजार निकट साँई मन्दिर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 883/2024 धारा 305(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मंदिर के पुजारी श्री दीपक तिवारी द्वारा एक कृष्ण भगवान की मूर्ति, एक छत्र भी चोरी होना बताया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 18.09.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 1.पंकज पुत्र सत्तू सिंह निवासी ग्राम रामजीवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर 2.विकास उर्फ विक्की पुत्र सुरेश निवासी पुरानी तहसील थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर हाल निवासी काशीराम कॉलोनी मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से कृष्ण भगवान की मूर्ति, 01 छत्र पीली धातू (टुकड़ो में टूटा हुआ) तथा घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल HF Deluxe UP20BU0431, 2840 /- रुपये व दोनो अभियुक्तों से एक-एक अवैध चाकू बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस व धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 की वृद्धि की गयी। बरामद मोटर साईकिल को अंतर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। अभियोग में सम्पूर्ण बरामदगी हो गयी है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.पंकज पुत्र सत्तू सिंह निवासी ग्राम रामजीवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर

2.विकास उर्फ विक्की पुत्र सुरेश निवासी पुरानी तहसील थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर हाल निवासी काशीराम कॉलोनी मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

कृष्ण भगवान की मूर्ति

01 छत्र पीली धातू (टुकड़ो में टूटा हुआ)

घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल HF Deluxe UP20BU0431

2840 /- रुपये

02 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.कां0 1041 मेमपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.कां0 1475 अश्वनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.कां0 2502 विशाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

5.कां0 1319 अर्पित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर